

समाहरणालय, गोड्डा

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VI

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11 (1) के अधीन)

संख्या- 76/2018-19 (पथ)

1602

/भूअ0 गोड्डा दिनांक :-

17/12/18

चूँकि उपायुक्त, गोड्डा को यह प्रतीत होता है कि मौजा- हनवारा सीट नं0-02, थाना नं0- 456, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना नयानगर से हनवारा पथ (बिहार बॉर्डर) भाया मिल्की, परसा, नरोत्तमपुर, डुमरिया एवं रामकोल में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य पथ निर्माण हेतु अपेक्षित है, इसलिए राज्य एस0 आई0 ए0 ईकाई सोशल एक्शन फोर रूरल डवलवमेंट (शारदा), छोटकी मुरम, रामगढ़ द्वारा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द्वारा कराया गया और एक प्रतिवेदन सौंपा गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात प्रतिवेदन का मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

विस्तृत प्रतिवेदन गोड्डा जिले के वेबसाइट:- www.godda.nic.in पर देखा जा सकता है। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि मौजा- हनवारा सीट नं0-02, थाना नं0- 456, अंचल- महागामा, जिला- गोड्डा में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.395 एकड़ यानि हेक्टेयर मानक माप का भू-खण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है।


क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड़)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरब	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	145	1360	निजी	धानी III	0.003	0.0015	दिनेश साह, पिता- स्व0 मुलहाय साह, सा0 हनवारा	1455	1451	पथ	1432
2						0.0015	भैरो साह, पिता- स्व0 मुलहाय साह, सा0 हनवारा				
3	145	1357	निजी	धानी III	0.006	0.003	लक्ष्मण साह, पिता- स्व0 जगन साह, सा0 हनवारा	1356	1360	पथ	1358
4						0.003	मो0 सुगिया देवी, पति- स्व0 कैकु साह, सा0 हनवारा				
5	145	1356	निजी	बारी III	0.028	0.007	दीपनरायण साह, पिता- स्व0 तेतरु साह, सा0 हनवारा	1354	1357	पथ	1355
6						0.007	केशो साह, पिता- स्व0 तेतरु साह, सा0 हनवारा				
7						0.005	हीरालाल साह, पिता- स्व0 प्रसादी साह, सा0 हनवारा				
8						0.005	बिरेन्द्र साह, पिता- स्व0 प्रसादी साह, सा0 हनवारा				
9						0.004	त्रिवेणी साह, पिता- स्व0 प्रसादी साह, सा0 हनवारा				
10	111	1016	निजी	धानी III	0.030	0.006	मो0 हनीफ, पिता- स्व0 शेख मरो, सा0 हनवारा	1017	1016	पथ	1011

11						0.006	मो० हफीज, पिता- स्व० शेख मरो, सा० हनवारा				
12						0.006	मो० सुलतान, पिता- स्व० शेख मरो, सा० हनवारा				
13						0.006	मो० जैनुल, पिता- स्व० शेख मरो, सा० हनवारा				
14						0.006	मो० मनीर, पिता- स्व० शेख मरो, सा० हनवारा				
15						0.0026	मो० समीर, पिता- स्व० शेख सराफत, सा० हनवारा				
16	140	1017	निजी	धानी III	0.008	0.0026	मो० कलीम, पिता- स्व० शेख सराफत, सा० हनवारा	1018	1017	पथ	1012
17						0.0028	मो० शमशुल, पिता- स्व० शेख सराफत, सा० हनवारा				
18	50	1216	निजी	धानी II	0.120	0.120	खतियानी रैयत- शेख जुठन मंडल व शेख असरफ मंडल के वारिसान		1216	1213	1219
19						0.066	मो० नजमुद्दीन, पिता- स्व० शेख दुखन मंडल, सा० हनवारा				
20	24	1212	निजी	धानी II	0.200	0.066	मो० सब्बीर, पिता- स्व० शेख दुखन मंडल, सा० हनवारा	पथ	1212	पथ	1213
21						0.068	मो० सरीफ, पिता- स्व० शेख दुखन मंडल, सा० हनवारा				
कुल रकबा :-					0.395	0.395	एकड़				

यह अधिसूचना भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। उपायुक्त, गोड्डा उक्त अधिनियम की धारा- 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा/अंचल अधिकारी, महागामा और उनके कर्मचारी- कानूनगो/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/संबंधित राजस्व कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा- 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण नहीं करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नही उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा- 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा श्री अनिल कुमार तिकी, अपर समाहर्ता, गोड्डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।



 उपायुक्त,
 गोड्डा।

ज्ञापांक 1602/भू0अ0 दिनांक :- 17/12/18

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड्डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिसूचना का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड्डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को गोड्डा जिले के वेबसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।


15/12/18
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1602/भू0अ0 दिनांक :- 17/12/18


प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोड्डा/अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, महागामा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, महागामा को निदेश है कि उक्त अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- अधियाची पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिसूचना को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।



15/12/18
उपायुक्त,
गोड्डा।

ज्ञापांक 1502/भूअ0 दिनांक 17/12/18

प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/12/18
उपायुक्त,
गोड्डा।